रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 1974/फाल्गुन 7, 1895
No. 88] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 1974/PHALGUNA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1974

S.O. 122(E)/IDRA/74/3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, namely:—

In the said notification,—

(i) in Schedule IV, after item No. (6), the following item shall be added, namely:—

"(7) Beer falling under '(2) Other products of fermentation industries' under the heading "26. FERMENTATION INDUSTRIES.";

(ii) in Schedule V, after item No. 10, the following item shall be added, namely:—

"(11) Steel forgings falling under '(3) Iron and steel castings and forgings' under the heading "1. METALLURGICAL INDUSTRIES".

2. In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the said Act, the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking engaged in the manufacture of beer or steel forgings shall carry on the business of such undertaking, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of State Governments except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[No. F. 12(21)L.P./74]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1974

का० आ० 122 (अ)/आई०डी०आर०ए०/74/3.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 98 (ई)/आई डी आर ए/29ब/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में.—

(i) अनुसूची IV में, मद सं० (6) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(7) "26 किण्वन उद्योग" शीर्षक के नीचे, "(2) किण्वन उद्योगों के अन्य उत्पाद" के अन्तर्गत आने वाली बीयर ;

(ii) अनुसूची V में, मद सं० 10 के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(ii) "1. धातुकर्मीय उद्योग" शीर्षक के नीचे ,

'(3) लोहा और इस्पात की ढलाई और गढ़ाई' के अन्तर्गत आने वाली इस्पात की गढ़ी हुई वस्तुएं ।

2. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 29ख की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात्, किसी औद्योगिक उपक्रम का कोई स्वामी, जो बीयर या इस्पात की गढ़ी वस्तुओं के विनिर्माण में लगा हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, और राज्य सरकार की दशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उस के अनुसार के सिवाय, ऐसे उपक्रम का कारबार नहीं चलाएगा ।

[सं० फा० 12(21) एल पी/74]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974